6190

SHANTANU
Advocate
Tehsil Compound Loni
Ghaziabad

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP21546824102139U
Certificate Issued Date	:	12-Oct-2022 04:38 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14089104/ LONI/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14089104357257742211069U
Purchased by	:	MUKESH KUMAR EDUCATIONAL TRUST
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	AKSHAY SINGH
Second Party	:	MUKESH KUMAR EDUCATIONAL TRUST
Stamp Duty Paid By	:	MUKESH KUMAR EDUCATIONAL TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,600 (One Thousand Six Hundred only)

Locked By
Sub Registrar Loni-II
Distt.-Ghaziabad

Please write or type below this line

IN-UP21546824102139U

Akshay Singh

B. Singh

QT 0005452892

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

किरायानामा मियादी 360 माह यानि 30 साल

किराया अंकन– 36,000/–रूपये पर 4 प्रतिशत स्टाम्प अंकन 1,600/–रूपये अदा किया गया है।

हम कि **श्री अक्षय सिंह पुत्र श्री स्व0 श्री मुकेश कुमार वर्मा** निवासी–III एल–19, नेहरू नगर, गाजियाबाद उ0प्र0।
आधार नं0–2690 6147 4293

प्रथम पक्ष/मालिक संपत्ति

एवं

मुकेश कुमार एजुकेशनल ट्रस्ट (MUKESH KUMAR EDUCATIONAL TRUST) स्थित – खसरा नं– 208, हकीकतपुर उर्फ खुदांबास लोनी जिला गाजियाबाद द्वारा संचालन राईस पब्लिक स्कूल सचिव भूपेंद्र सिंह पुत्र श्री मुकेश कुमार वर्मा निवासी– III एल–19, नेहरू नगर, गाजियाबाद उ0प्र0।
आधार नं0–2234 9003 2886

द्वितीय पक्ष/किरायेदार

Advocate
Tehsil Compound Loni
Ghaziabad

आवेदन सं०: 202201028047842

पट्टा विलेख/ कबूलियतनामा

बही स०: 1 **रजिस्ट्रेशन स०: 6190** **वर्ष: 2022**

प्रतिफल- 36000 स्टाम्प शुल्क- 1600 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 360 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 420

श्री अक्षय सिंह ,
पुत्र श्री स्व0 श्री मुकेश कुमार वर्मा
व्यवसाय : अन्य
निवासी: 3 एल-19, नेहरू नगर, गाजियाबाद उ0प्र0।

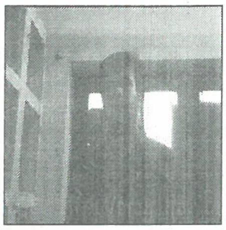

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 13/10/2022 एवं 02:29:31 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय सिंह प्रभारी
उप निबंधक :लोनी द्वितीय
गाजियाबाद
13/10/2022

अजीत कुमार सागर
निबंधक लिपिक
13/10/2022

प्रिंट करें

कार्यालय रजिस्ट्रार लोनी द्वितीय जनपद, गाजियाबाद
सत्यमेव जयते

विदित हो कि एक किता सम्पत्ति कुल क्षेत्रफल – 4533 वर्ग मीटर सम्बन्धित खसरा नं0– 208 जोकि निम्न सीमा स्थित हकीकतपुर उर्फ खुदाबांस परगना व तहसील लोनी जिला गाजियाबाद का मैं प्रथम पक्ष बतौर बैनामा इकरारी रोहताश , सुनील व जगबीर पुत्रगण कुन्दी निवासीगण– समयपुर सुबा दिल्ली । जिसका पंजीकरण क्रमशः बही नं0–1, जिल्द नं0– 2552 के पृष्ठ 283–306 व 235–258 व 211–234 क्रमांक नं0– 6083, 6081 व 6080 पर दिनांक–19.04.2021 को सब रजिस्ट्रार कार्याल लोनी प्रथम मे होकर हुआ है। के द्वारा खरीदकर मै प्रथम पक्ष मालिक व काबिज स्वामी हूँ।

मै प्रथम पक्ष उक्त संपति के हर प्रकार के हस्तांतरण का अधिकार रखता हैं। उपरोक्त संपत्ति को द्वितीय पक्ष किराये पर लेने का इच्छुक हैं, जिसके लिए प्रथम पक्ष भी सहमत है। जिसमे द्वितीय पक्ष केवल विद्यालय संचालन हेतू किराये पर देना करार पाया है। दोनो पक्षो के मध्य निम्नलिखित शर्ते व निम्नलिखित किराया तय पाया हैं जिसके पाबंद दोनों पक्ष व वारसान पक्षकार पाबंद रहेंगे।

Akshay Singh B. Singh

B. Singh

आवेदन सं०: 202201028047842

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 6190 वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री अक्षय सिंह, पुत्र श्री स्व0 श्री मुकेश कुमार वर्मा

निवासी: 3 एल-19, नेहरू नगर, गाजियाबाद उ0प्र0।

व्यवसाय: अन्य

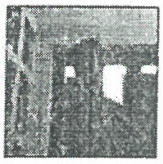

पट्टा गृहीता: 1

श्री मुकेश कुमार एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा भूपेंद्र सिंह, पुत्र श्री स्व० मुकेश कुमार वर्मा

निवासी: 3 एल-19, नेहरू नगर, गाजियाबाद उ0प्र0

व्यवसाय: अन्य

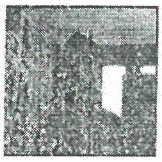

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री प्रशांत, पुत्र श्री ओमपाल सिंह

निवासी: मकान नं- 377, ग्राम जावली लोनी जिला गाजियाबाद उ0प्र0

व्यवसाय: अन्य

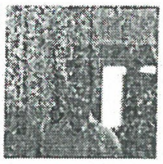

पहचानकर्ता : 2

श्री विनीत कुमार, पुत्र श्री विनोद कुमार

निवासी: अशोक विहार लोनी जिला गाजियाबाद उ0प्र0

व्यवसाय: अन्य

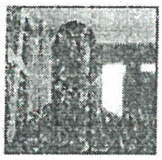

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय सिंह प्रभारी
उप निबंधक : लोनी द्वितीय
गाजियाबाद
13/10/2022

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

अजीत कुमार सागर
निबंधक लिपिक गाजियाबाद
13/10/2022

प्रिंट करें

1. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त संपत्ति को प्रयोग करने हेतू प्रथम पक्ष को अंकन –500/–रूपये (पांच सौ रूपये) प्रति माह दिनांक 12.10.2022 से 31.10.2053 तक अर्थात 360 माह तक अदा करेगा।

2. यह कि उपरोक्त संपत्ति की किरायेदारी दिनांक 01.09.2022 से शुरू होकर लगातार 360 माह तक चलेगी यानि दिनांक 31.10.2053 तक कायम रहेगी।

3. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को कोई राशि बतौर सिक्योरटी नही दी है।

4. यह है कि द्वितीय पक्ष सम्पत्ति का किराये प्रतिमाह की 1 से 10 तारीख के बीच अदा करेगा।

5. यह है कि उपरोक्त सम्पत्ति मे द्वितीय पक्ष शराब जुआ ताश–पत्ते अन्य कोई गैर कानूनी कार्य न स्वयं करेगा और न ही अन्य व्यक्तियों को करने देगा।

6. यह है कि द्वितीय पक्ष या कोई अन्य व्यक्ति उक्त सम्पत्ति मे गलत कार्य करते हुए देखे गए तो सम्पत्ति को खाली करा लिया जाएगा।

7. यह है कि बिजली व पानी के बिल का भुगतान द्वितीय पक्ष अलग से स्वयं करेगा।

Akshaysingh.

B. Singh.

कार्यालय रजिस्ट्रार लोनी द्वितीय
* जनपद गाजियाबाद *

8. यह है कि यदि द्वितीय पक्ष भविष्य मे समय पर किराया नही देता है तो प्रथम पक्ष को पूरा अधिकार होगा के वो द्वितीय पक्ष से सम्पत्ति को खाली करा ले उसमे किरायेदार को कोई भी परेशानी नही होनी चाहिए।

9. यह हे कि यदि प्रथम पक्ष उक्त सम्पत्ति को खाली कराना चाहता है तो द्वितीय पक्ष को तीन माह पहले नोटिस देकर सुचित करना होगा यदि द्वितीय पक्ष उक्ता सम्पत्ति को खाली करना चाहता है तो प्रथम पक्ष को खाली करने से पहले तीन माह का नोटिस देकर सुचित करना होगा।

10. यह कि दौरान किरायेदारी द्वितीय पक्ष को उपरोक्त किराये तलब संपत्ति मे कोई तोड़ फोड़ या रददो बदल करने का तथा किसी अन्य को किराये पर रखने का कोई अधिकार नही होगा।

11. यह कि संपत्ति सरंचना मे किसी भी तरह का नुकसान होने पर उसे पूर्ववत स्थिति मे लाने के लिए आवश्यक खर्चे को द्वितीय पक्ष वहन करेगा।

Akshay Singh

B. Singh

कार्यालय रजिस्ट्रार [illegible] चिट्स ★ जनपद, गाजियाबाद

12. यह कि द्वितीय पक्ष/किरायेदार उपरोक्त किराए तलब संपत्ति मे कोई भी इस प्रकार कार्ये नही करेगा। जिससे मकान मालिक व अन्य पड़ोसियो को कोई असुविधा या परेशानी हो और न ही द्वितीय पक्ष कोई असामाजिक या गैर कानूनी कार्ये करेगा।

13. यह कि किरायेनामे की मियाद समाप्त होने पर दोनों पक्षो की सहमति से किराये मे 10 प्रतिशत की वृद्धि कर के नया किरायानामा पंजीकृत कराया जा सकता है।

14. यह कि उपरोक्त किरायनामा की पाबन्दी उभय पक्ष व उनके वारिसान पर भी मानी जावेगी।

Akshaysingh

B. Singh

जनपद, गाजियाबाद

गवाह—1 प्रशांत पुत्र श्री ओमपाल सिंह
निवासी— मकान नं— 377, ग्राम जावली
लोनी जिला गाजियाबाद उ0प्र0।
आधार नं— 9908 1344 2754

SHANTANU
Advocate
Tehsil Compound Loni
Ghaziabad

गवाह—2 विनीत कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार
निवासी— अशोक विहार लोनी जिला गाजियाबाद उ0प्र0।
आधार नं—6408 9984 1143

SHANTANU
Tehsil Compound Loni
Ghaziabad

अत: यह किरायानामा मियादी 30 साल यानि 360 माह लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

ह0प्रथम पक्ष

Akshay Singh

....

ह0 द्वितीय पक्ष

B. Singh

....

Shantanu
SHANTANU
Advocate
Tehsil Compound Loni
Ghaziabad

मसौदा :– दिनांक 12.10.2022 ई0 शान्तनु एडवोकेट, रजिस्टरी ऑफिस लोनी गाजियाबाद। उक्त किरायानामा दोनो पक्षो के बताये अनुसार व दोनो पक्षों द्वारा दिये गये कागजातों के आधार पर तहरीर कराया गया है मसौदा व फोटो का सत्यापन गवाहों व पक्षकारों के कथनानुसार किया गया है। अधिवक्ता/लेखक ने मौका मुआयना नही किया है।

आवेदन सं०: 202201028047842

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 361 के पृष्ठ 203 से 220 तक क्रमांक 6190 पर दिनाँक 13/10/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय सिंह प्रभारी
उप निबंधक : लोनी द्वितीय
गाजियाबाद
13/10/2022

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण लोनी द्वितीय ★ जनपद, गाजियाबाद ★

प्रिंट करें